न्यायालय भरण पोषण न्याधिकरण, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2021 **दायर दिनांकः 22.02.2021**

उनवान

1. देवीशंकर आयु 75 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति सेन निवासी कासमपुरा तहसील अटरू थाना मोठपुर जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र देवीशंकर जाति सेन निवासी कासमपुरा थाना मोठपुर।
2. नरेन्द्र पुत्र बृजमोहन जाति सेन निवासी गायत्रीनगर तहसील/थाना अटरू।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 सपठीत नियम 20 व 21 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधि0</u>

निर्णय

दिनांक 22.07.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है तथा अप्रार्थी क्रम 1 का पिता एवं अप्रार्थी क्रम 2 का दादा है। ग्राम कासमपुरा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे में एक मकान स्थित चला आ रहा है। जो मेरे स्वामित्व एवं कब्जे का है जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न है।

पूर्व– मकान भवानीशंकर पश्चिम– बिरधीलाल का मकान

उत्तर– खाली भूमि दक्षिण– आम रास्ता

जिनके मध्य प्रार्थी का मकान व बाडा स्थित चला आ रहा है। प्रार्थी वृद्ध होने से अप्रार्थी क्रम 1 ने वृद्धावस्था का लाभ उठाकर गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी को वहॉ से भगा दिया तथा मकान पर कब्जा कर लिया। प्रार्थी ने इस आशय की रिपोर्ट थाना मोठपुर में दिनांक 23.09.2021 को दर्ज करवाई थी लेकिन थाना मोठपुर ने प्रार्थी के वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की। ग्राम खेडलीगंज में प्रार्थी का एक भूखण्ड [illegible]0X[illegible] वर्गफुट का मांगीबाई पत्नी प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी खेडलीगंज से क्रय किया था जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न है–

पूरब–आम रास्ता पश्चिम– प्लाट

उत्तर– प्लाट दक्षिण– प्लाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:27 IST
Reason: SelfAttested

जिनके मध्य उक्त भूखण्ड स्थित है। अप्रार्थी क्रम 2 जो प्रार्थी का पोता है तथा अप्रार्थी क्रम 1 का पुत्र है इसलिये जबरन अवैधानिक तरीके से प्रार्थी की वरिष्ठ नागरिक की कमजोरी का फायदा उठाकर जबरन कब्जा कर लिया। प्रार्थी ने कब्जा हटाने को कहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी के अवैध कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 व 3 में वर्णित भूमि एवं मकान से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को बेदखल किये जाने हेतु श्रीमान एस. एच.ओ. साहब, मोठपुर एवं एस.एच.ओ. साहब अटरू को आदेश प्रदान करे कि मौके पर जाकर प्रार्थी को उपरोक्त मकान व भूखण्ड पर कब्जा संभलाया जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण धारा–6 में दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण की तलबी की गई, अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री मनजीत सिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु 22.04.2021 तक समय दिया गया। दिनांक 22.04.2021 को अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुऐ लेकिन जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थीगण को पुनः जवाब पेश करने हेतु दिनांक 08.07.2021 तक समय दिया गया निर्धारित समय पर अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित लेकिन जवाब हेतु समय मांगा गया अतः अप्रार्थीगण को एक अंतिम अवसर देते हुऐ दिनांक 15.07.2021 को जवाब पेश करने का समय दिया। दिनांक 15.07.2021 को अंतिम अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण 75 वर्षीय पिता के भरण–पोषण तथा जीवन व संपत्ति के संरक्षण से जुडा होने के कारण अब अप्रार्थीगण को और समय नही दिया जा सकता। अतः जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में धारा 8 के अधीन संक्षिप्त प्रोसीजर अपनाते हुए प्रार्थी व दो गवाहों AW 1 से AW 3 के बयान दर्ज किये गये। अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी के तीनों पुत्रों ने प्रार्थी के जीवनकाल में ही उसकी वृद्धावस्था का लाभ उठाकर उसकी पैत्रक संपत्ति के बाद अपनी स्वअर्जित संपत्ति से भरण पोषण करना चाहा तो अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने उसे बेदखल कर भगा दिया जिससे प्रार्थी के समक्ष वृद्धावस्था में भरण–पोषण का संकट उत्पन्न हो गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी की संपत्ति की जीवन सुरक्षा की जावे।

सरपंच हाथी दिलोद के मौखिक कथन सुने तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2020 को मोठपुर थाने में दर्ज परिवाद का भी अवलोकन किया तो आबादी भूमि के पट्टे दिनांक 08.06.1987 एवं नोटेराइज्ड इकरारनामा दिनांक 31.07.2007 से स्पष्ट है कि खेडलीगंज स्थित उक्त भूखण्ड प्रार्थी द्वारा मांगीबाई पत्नी प्रहलाद कुम्हार से रूपये 45000/– खरीदा था। इसी प्रकार प्रार्थी ने अपनी स्वयं की मेहनत व कमाई से ग्राम कासमपुरा में मकान व बाडे का निमार्ण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021-08.04 18:25:27 IST
Reason: SelfAttested

मरम्मत की है। वृद्ध पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर उसकी सहमति के बिना कब्जा करना गैर कानूनी है। राजस्थान माता–पिता एवं वृद्ध वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण नियम–2010 के अधीन ऐसे माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों को जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करना जिला मजिस्ट्रेट /उपखण्ड मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। नियम 21 के तहत पुलिस अधीक्षक का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे वृद्धजनों की संपत्ति के संरक्षण की कार्ययोजना बनाये और स्थानीय पुलिस से उसकी पालना सुनिश्चित करावें। धारा 2 के अधीन प्रत्येक पुत्र व पुत्री और/या रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है कि यदि उनके माता पिता स्वयं की आय से या स्वयं की संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो उनका भरण पोषण करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति पर से कब्जा छोडकर प्रार्थी को संभलाऐ। भविष्य में उनकी संपत्ति पर न तो स्वयं और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से कब्जा करावे। थानाधिकारी अटरू व मोठपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रार्थी स्वयं अपना भरण–पोषण कर सके।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीना)
भरण पोषण न्याधिकरण
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:27 IST
Reason: SelfAttested